समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक शून्य दिनांक 23.09.2015 एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक 386/चुनाव, दिनांक 22.09.2015 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिला दण्डाधिकारी- सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 23-09-2015 को आयोजित जिला स्क्रीनिंग कमिटि की बैठक में निर्णय लिया गया है कि श्री विजय बहादुर सिंह पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह सा0 मजौरा थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा के नाम से एक दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-2323 प्राप्त है, जिस पर शस्त्र सं0-3941-72 धारित है, की मृत्यु हो चुकी है। स्व0 सिंह के नाम पर धारित दो नाली बन्दुक सम्प्रति बिहारीगंज थाना के मालखाना में जमा है एवं इनके शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-2323 को रद्द करने की विधिवत कार्रवाई जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा करेंगे।

दिनांक 23-09-2015 को जिला स्क्रीनिंग कमिटि की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17(6) के तहत् श्री विजय बहादुर सिंह पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह सा0 मजौरा थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा के मृत्यु उपरान्त इनके नाम से निर्गत एक दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-2323 को रद्द किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21(1) के तहत् बिहारीगंज थाना के मालखाना में जमा किए गए शस्त्र सं0-3941-72 को सुरक्षित जमा रखने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

थानाध्यक्ष, बिहारीगंज को निदेश दिया जाता है कि वे मृतक अनुज्ञप्तिधारी के वारिसान से मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं थाना मालखाना में जमा किए गए शस्त्र का पावना रसीद की एक प्रति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि अनुज्ञप्ति पुस्त एवं पंजी पर नियमानुसार इन्द्राज किया जा सके।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त मूल अनुज्ञप्ति पंजी में उक्त आशय का प्रमाण इन्द्राज करते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1283 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 01/10/15

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।